राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांकः–प.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट–।। जयपुर, दिनांकः– 01 AUG 2023

स्पष्टीकरण

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(2) एवं 15(2) में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2023 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः–

"Benefit of pay fixation available at the time of normal promotion shall be allowed at the time of financial upgradations under the scheme."

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 20 एवं राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 26ए(1) में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने के नियमों में अधिसूचना दिनांक 26.07.2023 द्वारा संशोधन किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(7) एवं अनुसूची–VI के बिन्दु संख्या (2) के प्रावधानों में एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में आगामी ठीक उच्चतर (immediate next higher Pay Level) पे–लेवल दिये जाने का प्रावधान है।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने के प्रावधान में किये गए संशोधन के अनुरूप एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने हेतु विद्यमान नियम 14(2) एवं 15(2) के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन के अनुसार एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में विद्यमान पे–लेवल में एक वेतन वृद्धि जोडकर ठीक आगामी उच्चतर पे–लेवल (immediate next higher Pay Level) में आगामी सैल में वेतन निर्धारण का लाभ देय किया गया है।

कतिपय विभागों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(2) एवं 15(2) में किये गये उक्त संशोधन के क्रम में एसीपी योजना के अन्तर्गत यदि पदोन्नति पद के पे–लेवल स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया गया है, तो ऐसे आदेशों को तुरन्त संशोधित करावें।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक: एफ 4/(1–आर)/एसकेराकृवि/सी/2023/552 दिनांक: 16-08-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं ::–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक,/क्षे. निदेशक/सह. निदेशक/प्रभारी अधिकारी, स्वाकेराकृविवि, ...
2. कुलसचिव, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ।
3. प्रभारी, सिमका को वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं ।
4. कोषाधिकारी, स्वाकेराकृविवि बीकानेर ।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ।
6. अनुभाग अधिकारी, पेंशन शाखा, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर
7. रक्षित पत्रावली ।

वित्त नियंत्रक